

कार्यालय उप तहसीलदार(राजस्व) मुकलावा

मुकदमा नंबर : 7

सन : 2019

सरकार बनाम
Laxman Singh vs. M. P. Singh
अपील नंबर निगाह 6P5

निर्णय

दिनांक: 21/01/19

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी उपस्थित/उपस्थित नहीं अप्रार्थी को सुना गया। अप्रार्थी पर नोटिस की तामि हो चुकी है। यावजुद तामील के उपस्थित न होने के कारण अप्रार्थी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी व फिरदावर हल्का अप्रार्थी ने एक 6P5 के मु0न0 17, 150 किलो नं0 - के कुल 0.819 हैक्टो रकबा नहरी/वायानी राजकीय भूमि को फसल खरी/खरीफ ख0सं0 2018 में अनाधिकृत काशत कर राजकीय भूमि पर अतिचार किया है। अप्रार्थी का यह कृत्य राजस्थान कोलोनार्इजेशन एक्ट 1954 की धारा 22 के तहत दण्डनीय है। अप्रार्थी के इस कृत्य के लिए उसे उक्त धारा के अन्तर्गत दण्डित किया जाना न्यायार्थित है। अतः मालगुजारी 8 प्रति हैक्टो - का तावान 50 गुणा साक्षिअप01 के दण्ड से दण्डित कर उक्त रकबे से वेदखल किये जाने को आदेश दिये जाते हैं। उक्त भूमि की फसल ~~हनु 112 नसी विस्था जाता।~~ ~~हनु 112 नसी विस्था जाता।~~

पटवारी हल्का की मतालवा डालवाछ सम्वन्धित में कायम करने एवं तावान वसूल करने तथा उक्त रकबे से वेदखल कर पालना रिपोर्ट पेश करने हेतु आदेश जारी है। तहसील राजस्व लेखाकार के रजिस्टर 'घ' में मांग दर्ज कराई जावे। पत्रावली फ़ैसलशुमार की जाती है। बाद तरीब तकमीन दाखिल दफतर हौ। निर्णय सुनाया गया।

उप तहसीलदार
मुकलावा (विचनगणप)